

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी  
चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-95/2016

संस्थित दिनांक-29.03.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा  
आरक्षी केन्द्र चंदेरी  
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

**विरुद्ध**

1. राजकुमार पुत्र रामेश्वर यादव निवासी पंचम नगर आयु-23 साल,
2. शंशाक पटेल पुत्र चौखेलाल कुशवाह निवासी साडा कॉलोनी आयु-19 साल
3. शिवाजी बुंदेला पुत्र शिवेन्द्र बुंदेला निवासी साडा कालोनी आयु-19 साल
4. अंकित लोधी पुत्र रामनिवास लोधी निवासी ग्राम सकवारा  
हाल निवासी पंचम नगर आयु-19 साल,  
सभी निवासी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 08.09.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294,324, 324/34, 323 323/34, 190 के आरोप है कि उसने दिनांक 25.02.2016 को समय 20:30 बजे थाना चंदेरी 0.5 किलोमीटर उत्तर में स्थित मुन्नू महाराज गैरिज के सामने पंचमनगर कालोनी टावर के पास चंदेरी में फरियादी अंकित यादव को मां बहन की अश्लील गालिया उच्चारित कर क्षोभ कारित किया एवं फरियादी अंकित यादव को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त शिवाजी ने फरियादी को सरिया से एवं अभियुक्त अंकित, शशांक व राजकुमार ने लातघूंसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की व फरियादी को लोकसेवक संरक्षा से विरत रहने के लिये आवेदन देने में जान से मारने की धमकी दी।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी अंकित यादव और राजकुमार यादव भोपाल में पढते हैं दिनांक 25.02.2016 को समय रात साढे आठ बजे अंकित यादव को राजकुमार यादव ने मुन्नू महाराज के गैरिज के सामने पंचम नगर टावर के पास चंदेरी पर बुलाया। फरियादी अंकित यादव वहां पर गया, तो शिवाजी बुंदेला, राजकुमार यादव, शंशाक व अंकित लोधी चारों वहां पर खडे थे, तो चारों अंकित को मादरचोद व बहन चोद की गालियां देकर बोले बहुत दिमाग खराब हो गया हैं, अंकित यादव ने गाली देने से मना किया तो शिवाजी ने सरिया मारा जो अंकित के सिर में लगा चोट होकर खून निकल आया और

शशांक, राजकुमार व अंकित लोधी ने अंकित को पटक लिया जिससे पीठ में मुंदी चोट आई, अंकित यादव चिल्लाया तो शुभम यादव व विपिन सिसोदिया ने आकर बचाया और घटन देखी। फिर अभियुक्तगण ने कहा कि रिपोर्ट करने गया तो जान से मार देंगे। उक्त दिनांक 25.02.2016 को फरियादी अंकित यादव के द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-101/2016 अंतर्गत धारा-294, 323, 324, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.09.2017 को फरियादी अंकित यादव द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्त शिवाजी को भा0द0वि0 की धारा 294, 323/34 एवं अभियुक्त अंकित, शशांक व राजकुमार को भा0द0वि0 की धारा 294, 323 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त शिवाजी पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 324, 190 एवं अभियुक्त अंकित, शशांक व राजकुमार पर आरोपित धारा 324/34 एवं 190 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।

04—अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0स0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 25.02.2016 को समय 20:30 बजे थाना चंदेरी 0.5 किलोमीटर उत्तर में स्थित मुन्नू महाराज गैरिज के सामने पंचमनगर कालोनी टावर के पास चंदेरी में फरियादी अंकित यादव को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया उक्त सामान्य
----	---

	आशय के अग्रसरण में अभियुक्त शिवाजी ने फरियादी को लोहे के सरिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2.	क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान फरियादी अंकित को लोकसेवक संरक्षा से विरत रहने के लिये आवेदन देने में जान से मारने की धमकी दी ?
3.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

- 06— प्रकरण में हुये राजीनामों एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये अभियोजन की ओर से प्रकरण में फरियादी अंकित यादव (अ0सा0-1) व घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नितिन (अ0सा0-2) के कथन न्यायालय में कराये गये। फरियादी अंकित यादव (अ0सा0-1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि अभियुक्तगण उसके दोस्त थे तथा वह लोग साथ में उठते बैठते थे। ढेड साल पहले फरवरी माह में रात्रि 08:00-09:00 बजे वह आरोपीगण के साथ मुन्नू महाराज के गैरिज पर बैठे थे, जहां बातों-बातों में उसका आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था। फरियादी के अनुसार इस घटना के बाद वह अपने घर पर आ गया था और अपने चाचा को घटना के बारे में बताया था और वह अपने चाचा के साथ थाने पर रिपोर्ट लेखबद्ध कराने गया था। फरियादी ने रिपोर्ट प्रदर्श-पी-1 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।
- 07— फरियादी अंकित यादव (अ0सा0-1) का अपने मुख्यपरीक्षण में अभियोजन घटना के विपरीत सर्वप्रथम तो यह कहना है कि वह अभियुक्तगण के साथ ही मुन्नू महाराज के गैरिज पर बैठा था जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्त राजकुमार ने उसे फोन करके वहां पर बुलाया था। अंकित यादव (अ0सा0-1) का अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहना है कि उसका अभियुक्तगण से केवल मुंहवाद हुआ था तथा इस साक्षी के अनुसार घटना में आरोपीगण ने उसके साथ कोई मारपीट की और न ही शिवाजी ने उसके सिर पर सरिया मारा। जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ मौके पर मारपीट की थी जिसके अभियुक्त शिवाजी ने सिर में सरिया मारा था।

- 08— फरियादी अंकित यादव (अ0सा0-1) का अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट कहना है कि उसके साथ आरोपीगण ने कोई मारपीट नहीं की, न ही उसे घटना में चोट आई। अंकित यादव (अ0सा0-1) ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना के विपरीत मारपीट की घटना से एवं स्वयं को घटना में चोटें आई थीं, इस बात से इन्कार किया है, जिससे फरियादी के कथन अभियोजन कहानी के विपरीत होने से उसके कथनों की पुष्टि प्रदर्श-पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से नहीं होती है। घटना के अन्य नितिन (अ0सा0-2) ने अपने न्यायालीन कथनों में घटना की जानकारी होने से इन्कार किया है तथा इस साक्षी ने भी अभियोजन के समर्थन में आरोपित अपराध के संबंध में कोई कथन नहीं दिये हैं।
- 09— फरियादी अंकित यादव (अ0सा0-1) व नितिन (अ0सा0-2) के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियोजन के द्वारा इन साक्षियों को पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया परन्तु आरोपित अपराध के संबंध में इन साक्षियों ने अभियोजन घटना का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया। अंकित यादव (अ0सा0-1) जो कि घटना में आहत होकर स्वयं फरियादी है। मारपीट की घटना से इन्कार करता है तथा इस साक्षी के अनुसार प्रदर्श-पी-1 में क्या लिखा है उसे जानकारी नहीं हैं और न ही उसने इस संबंध में पुलिस को कोई कथन दिये थे। अभियुक्त शुभम ने उसके सिर में सरिया मारा था तथा अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट की थी।
- 10— अतः फरियादी अंकित यादव (अ0सा0-1) के द्वारा न्यायालय में आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का समर्थन न करने एवं अभियोजन घटना के विरुद्ध घटना में केवल मुंहवाद होना बताने के कारण व शेष साक्षी नितिन (अ0सा0-2) के पक्षविरोधी होने के बाद आरोपित अपराध के संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अतः साक्ष्य के अभाव में अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 25.02.2016 को समय 20:30 बजे थाना चंदेरी 0.5 किलोमीटर उत्तर में स्थित मुन्नू महाराज गैरिज के सामने पंचमनगर कालोनी टावर के पास चंदेरी में फरियादी अंकित यादव को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त शिवाजी ने फरियादी को सरिया से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की व फरियादी को लोकसेवक संरक्षा से विरत रहने के लिये आवेदन देने में जान से मारने की धमकी दी।

- 11- फलतः अभियुक्त शिवाजी पर आरोपित भा०द०वि० की धारा 324, 190 एवं अभियुक्त अंकित, शशांक व राजकुमार पर आरोपित धारा 324/34 एवं 190 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त शिवाजी को भा०द०वि० की धारा 324, 190 एवं अभियुक्त अंकित, शशांक व राजकुमार को आरोपित धारा 324/34 एवं 190 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 12-अभियुक्त राजकुमार पुत्र रामेश्वर यादव निवासी पंचम नगर, शंशाक पुत्र चौखेलाल कुशवाह, शिवाजी बुंदेला पुत्र शिवेन्द्र बुंदेला, अंकित लोधी पुत्र रामनिवास लोधी के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति अपीलीय अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे। अभियुक्तगण का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

